**Title: Re: Demands of Public Distribution shop dealers of Rohtas and Kaimur districts of Bihar.**

**श्री छेदी पासवान (सासाराम):** बिहार के रोहतास एवं कैमूर जिला सहित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के जीविकोपार्जन के लिए नीचे वर्णित छः सूत्री मांगों को संबंधित मंत्रालय द्वारा लागू कराने हेतु सदन के माध्यम से निर्देशित करने की कृपा की जाए ।

जन वितरण विक्रेताओं का मांग पत्र निम्नवत है ।

1. अन्य राज्यों के तरह जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत विक्रेता को सरकारी सेवक घोषित किया जाए एवं 30.000 (तीस हजार रू0) मानदेय या 300 (तीन सौ) रूपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए ।

2. पॉस मशीन से वितरण करने पर डीलरों को केन्द्र सरकार के द्वारा 27 रू0 मेन्टेनेंस चार्ज मिलता है, जो राज्य सरकार के द्वारा नही दिया जाता है, उसे डीलरों को दिलवाया जाए ।

3. केन्द्र सरकार के द्वारा 'वन नेशन वन राशन कार्ड' लागू किया गया है, तो अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी सभी डीलरों को एक रूप में कमीशन दिया जाए ।

4. पूर्व की तरह डीलरों को अनुकम्पा दिया जाए, जिसमें उम्र की कोई सीमा नहीं हो ।

5. कोरोना काल के समय राशन वितरण करने के कार्यकाल में जो डीलर कोरोना से मृत हो गये हैं उनके आंश्रित परिवार को राजस्थान सरकार के तर्ज पर 50.00000 (पच्चास लाख रू0) का मुआवजा दिया जाए ।

6. 2020 से नवम्बर 2022 तक का मार्जिन मनी एक मुश्त डीलरों को दिया जाए एवं माह दिसम्बर 2020, माह मई 2021 एवं माह दिसम्बर 2022 में डीलरों के द्वारा ड्राफ्ट का पैसा लगाया गया था जिसका राशन नहीं मिला उस पैसा को अविलंब एक मुस्त वापस किया जाए ।